


पुनश्च्यः

4-1-2021 पत्रावली पेशा दुरे रुक-रुक कर तीन बार
झावज दिवारे गइ न तो आम्भाषक उपस्थित
हैं सोर न ही पक्षकारण पत्रावली लखे समम
से जवाब में चल रही है ऐसी स्थिति में
न्यायालय इस प्रकरण को आगे जैवकार खवना
उचित नहीं समझता है अतः पत्रावली अदम
रजरी अदम पेशी में खारिज की जाती है
पत्रावली फेसल शुमार लोक नम्बर से कम
की जावे।

निर्णय आज दिनांक 4-1-2021 को खुले न्यायालय
में सुनया गया।



रजरी अदम पेशी में
खारिज कर दी गई

